क्रम-संख्या–25

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 26 फरवरी, 2024

फाल्गुन 7, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 65 / 79-वि-1–2024-1-क-4-2024

लखनऊ, 26 फरवरी, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे सतर्कता अनुभाग–4 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 फरवरी, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधम) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में इसके प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन किये गये संशोधन, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से पूर्व नियुक्त लोकायुक्तों तथा उप–लोकायुक्तों पर लागू नहीं होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, सन् 1975 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 5 में, विद्यमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, पांच वर्ष की अवधि अथवा सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए पद धारण करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद भार ग्रहण न कर ले:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त, राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त को धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।"

उद्देश्य और कारण

कतिपय मामलों में मंत्रियों, विधायकों और अन्य, लोकसेवकों के विरूद्ध शिकायतों और अभिकथनों का अन्वेषण करने के निमित्त, कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों के लिए तथा उनसे सम्बंधित एवं आनुषंगिक विषयों हेतु उपबन्ध किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975) अधिनियमित किया गया है।

प्रारम्भ में लोक आयुक्त और उप–लोक आयुक्त की पदावधि पांच वर्ष थी। कतिपय विशेष परिस्थितियों के कारण और कार्यहित में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त की पदावधि आठ वर्ष तक बढ़ा दी गयी। लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त के वर्तमान निर्धारित कार्यकाल पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि आठ वर्ष का कार्यकाल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक है। यह भी नोट किया गया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), लोकपाल का कार्यकाल पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, का उपबंध करता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, पांच वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारित करेगा।

तद्नुसार, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

1138_RPH_2024_(Lok Aaykt)-2024 Data-7E

No. 65(2)/LXXIX-V-1-2024-1-ka-4-2024

Dated Lucknow, February 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Aayukt Tatha Up-Lok Aayukt (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2024. The Satarkta Anubhag- 4 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. Act no. 3 of 2024)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Lokayukta and Up -Lokayuktas Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, commencement and application

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official *Gazette*.

(3) The amendments made under this Act shall not apply to the Lokayuktas and Up-Lokayuktas appointed before the date of commencement of this Act.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 42 of 1975

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Lokayukta and Up- Lokayuktas Act, 1975, for the existing sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(1) Every person appointed as the Lokayukta or Up-Lokayukta shall hold office for a term of five years or upto the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall, notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office:

Provided further that, —

(a) the Lokayukta or an Up-Lokayukta may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office;

(b) the Lokayukta or an Up-Lokayukta may be removed from office in the manner specified in section 6. "

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975 (U.P.Act no. 42 of 1975) has been enacted to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of grievances and allegations against Ministers, legislators and other public servants in certain cases and for matters connected therewith and incidental thereto.

Initially, the term of office of Lokayukta and Up-Lokayukta was five years. Due to certain special circumstances and in the interest of work, the term of office of Lokayukta and Up-Lokayukta was increased to eight years *vide* the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act,2012. After due consideration of the currently fixed tenure of Lokayukta and Up-Lokayuktas it was found that the tenure of 8 years is excessive from the point of view of physical and mental health. It was also noted that the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (Act no. 1 of 2014) provides for the tenure of Lokpal to be five years or the age of seventy years, whichever is earlier.

In view of the above, it has been decided to amend section 5 of the aforesaid Act to provide that every person appointed as Lokayukta or Up-Lokayukta shall hold office for a term of five years or upto the age of seventy years, whichever is earlier.

The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Bill, 2024 is introduced accordingly.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1138 राजपत्र–2024–(3157)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 173 सा0 विधायी–2024–(3158)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।